कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग 02)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या :3652 /प्र0अ0/सिं0वि/का0–02/ई–16(स्था0), दिनांकः 10 जून, 2025

—:कार्यालय–ज्ञापः—

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2025 हेतु ड्राइंग सवंर्ग में कार्यरत निम्नलिखित संगणक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ–04 में अंकित स्थान पर एतद्द्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है :—

क्र0 सं0	संगणक का नाम/जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण विधेयक की धारा जिसके अनुरूप स्थानान्तरण किया गया है
01	02	03	04	05
(अनिवार्य स्थानान्तरण)				
01	श्री शंकर लाल/ 01.11.1967	नलकूप खण्ड, बाजपुर	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	शासनादेश सं0–221278/XXX(2)/2024/E–3 3080 दिनांकः 28.06.2024

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगें तथा अनुपालन आख्या तत्तकाल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगें :—

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तद्नुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लघंन मानते हुए उसके विरूद्व "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली–2003 (समय–समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्याः3652/प्र0अ0/सिं0वि0/कार्मिक–2/2025/तदिनांकः—

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर–।/स्तर–।।), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.com में अपलोड हेतु।
6. कट फाईल।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–02)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग 02)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 3649 / प्र0अ0 / सिं0वि / का0–02 / ई–16(स्था0), दिनांकः 10 जून, 2025

–:कार्यालय–ज्ञाप:–

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2025 हेतु ड्राईग सवर्ग में कार्यरत निम्नलिखित संगणक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ–04 में अंकित स्थान पर एतद्द्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है :–

क्र0 सं0	संगणक का नाम / जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण विधेयक की धारा जिसके अनुरूप स्थानान्तरण किया गया है
01	02	03	04	05
(अनिवार्य स्थानान्तरण)				
01	श्री दिनेश चन्द्र / 01.10.1968	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	नलकूप खण्ड, बाजपुर	शासनादेश सं0–221278 / xxx(2) / 2024 / E–3 3080 दिनांकः 28.06.2024

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगें तथा अनुपालन आख्या तत्तकाल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगें :–

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तद्नुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति / पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य / आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लघंन मानते हुए उसके विरूद्व "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली–2003 (समय–समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्याः 3649 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / कार्मिक–2 / 2025 / तदिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर–I / स्तर–II), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.com में अपलोड हेतु।
6. कट फाईल।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–02)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग 02)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 3650/प्र0अ0/सिं0वि/का0–02/ई–16(स्था0), दिनांकः 10 जून, 2025

–:कार्यालय–ज्ञापः–

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2025 हेतु ड्राईग सवर्ग में कार्यरत निम्नलिखित संगणक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ–04 में अंकित स्थान पर एतदद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है :–

क्र0 सं0	संगणक का नाम/जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण विधेयक की धारा जिसके अनुरूप स्थानान्तरण किया गया है
01	02	03	04	05
(अनिवार्य स्थानान्तरण)				
01	श्री राकेश चन्द्र आर्य/ 01.06.1970	अवस्थापना(पुनर्वासं) खण्ड, ऋषिकेश	सिंचाई कार्य मण्डल, हरिद्वार	—

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगें तथा अनुपालन आख्या तत्तकाल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगें :–

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तद्नुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लघंन मानते हुए उसके विरूद्व "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली–2003 (समय–समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्याः3650/प्र0अ0/सिं0वि0/कार्मिक–2/2025/तदिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर–।/स्तर–।।), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.com में अपलोड हेतु।
6. कट फाईल।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–02)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग 02)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या :3651 /प्र0अ0/सिं0वि/का0–02/ई–16(स्था0), दिनांकः 10 जून, 2025

–ःकार्यालय–ज्ञापः–

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2025 हेतु ड्राईंग सवंर्ग में कार्यरत निम्नलिखित संगणक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ–04 में अंकित स्थान पर एतद्द्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है :–

क्र0 सं0	संगणक का नाम/जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण विधेयक की धारा जिसके अनुरूप स्थानान्तरण किया गया है
01	02	03	04	05
(अनिवार्य स्थानान्तरण)				
01	श्रीमती सारिका कुमार/ 13.07.1978	परियोजना मण्डल, देहरादून	सिंचाई कार्य मण्डल, उत्तरकाशी	धारा 17 (1) (क)

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगें तथा अनुपालन आख्या तत्तकाल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगें :–

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तद्नुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लघंन मानते हुए उसके विरूद्व "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली–2003 (समय–समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्याः 3651 /प्र0अ0/सिं0वि0/कार्मिक–2/2025/तदिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर–।/स्तर–।।), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.com में अपलोड हेतु।
6. कट फाईल।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–02)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग 02)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 3653 / प्र0अ0 / सिं0वि / का0–02 / ई–16(स्था0), दिनांकः 10 जून, 2025

–ःकार्यालय–ज्ञापः–

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2025 हेतु ड्राईग सवंर्ग में कार्यरत निम्नलिखित संगणक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ–04 में अंकित स्थान पर एतद्द्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है :–

क्र0 सं0	संगणक का नाम / जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण विधेयक की धारा जिसके अनुरूप स्थानान्तरण किया गया है
01	02	03	04	05
(अनिवार्य स्थानान्तरण)				
01	श्री प्रदीप सिंह / 01.04.1989	सिंचाई खण्ड, दुगड्डा	सिंचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग द्वैत कार्यभार सिंचाई कार्यमण्डल, श्रीनगर	की धारा 17 (1) (क)

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगें तथा अनुपालन आख्या तत्तकाल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगें :–

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तद्नुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लघंन मानते हुए उसके विरूद्व "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली–2003 (समय–समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्याः 3653 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / कार्मिक–2 / 2025 / तदिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर–I/स्तर–II), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.com में अपलोड हेतु।
6. कट फाईल।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–02)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग 02)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 3654 / प्र0अ0 / सिं0वि / का0–02 / ई–16(स्था0), दिनांकः 10 जून, 2025

–ःकार्यालय–ज्ञापः–

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2025 हेतु ड्राईग सवंर्ग में कार्यरत निम्नलिखित संगणक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ–04 में अंकित स्थान पर एतद्द्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है :–

क्र0 सं0	संगणक का नाम / जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण विधेयक की धारा जिसके अनुरूप स्थानान्तरण किया गया है
01	02	03	04	05
		(अनिवार्य स्थानान्तरण)		
01	श्रीमती रजनी रावत / 12.02.87	सिंचाई कार्य मण्डल, उत्तरकाशी	नलकूप खण्ड, देहरादून	धारा 17 (1) (ग)

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगें तथा अनुपालन आख्या तत्तकाल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगें :–

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तद्नुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लघंन मानते हुए उसके विरूद्व "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली–2003 (समय–समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्याः 3654 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / कार्मिक–2 / 2025 / तदिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर–।/स्तर–।।), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.com में अपलोड हेतु।
6. कट फाईल।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–02)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग 02)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या :3655 / प्र0अ0 / सिं0वि / का0–02 / ई–16(स्था0), दिनांकः 10 जून, 2025

–:कार्यालय–ज्ञापः–

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2025 हेतु ड्रांईग सवंर्ग में कार्यरत निम्नलिखित संगणक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ–04 में अंकित स्थान पर एतद्द्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है :–

क्र0 सं0	संगणक का नाम / जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण विधेयक की धारा जिसके अनुरूप स्थानान्तरण किया गया है
01	02	03	04	05
(अनिवार्य स्थानान्तरण)				
01	श्री दिलप्रील सिंह देवगन / 06.04.1982	सिंचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग	मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून	धारा 17 (1) (ग)

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगें तथा अनुपालन आख्या तत्तकाल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगें :–

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तद्नुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति / पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य / आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लघंन मानते हुए उसके विरूद्व "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली–2003 (समय–समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्याः 3655 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / कार्मिक–2 / 2025 / तदिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर–।/स्तर–।।), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
10. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
11. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
12. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
13. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.com में अपलोड हेतु।
6. कट फाईल।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–02)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग 02)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 3656 / प्र0अ0 / सिं0वि / का0–02 / ई–16(स्था0), दिनांकः 10 जून, 2025

–:कार्यालय–ज्ञापः–

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2025 हेतु ड्राईंग सवंर्ग में कार्यरत निम्नलिखित संगणक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ–04 में अंकित स्थान पर स्वयं के अनुरोध के आधार पर एतद्द्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है :–

क्र0 सं0	संगणक का नाम / जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण विधेयक की धारा जिसके अनुरूप स्थानान्तरण किया गया है
01	02	03	04	05
(अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण)				
01	श्रीमती नीलम / 01.07.1989	सिंचाई कार्य मण्डल, श्रीनगर (गढ़वाल)।	परियोजन मण्डल, देहरादून	धारा 17 (ख) (सातः)

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगें तथा अनुपालन आख्या तत्तकाल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगें :–

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तद्नुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति / पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य / आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लघंन मानते हुए उसके विरूद्व "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली–2003 (समय–समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरण हेतु स्थानान्तरण भत्ता देय नही होगा।
10. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्याः 3656 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / कार्मिक–2 / 2025 / तदिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर–। / स्तर–।।), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.com में अपलोड हेतु।
6. कट फाईल।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–02)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग 02)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या :3657/प्र0अ0/सिं0वि/का0–02/ई–16(स्था0), दिनांकः 10 जून, 2025

–:कार्यालय–ज्ञापः–

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2025 हेतु ड्राईंग सवंर्ग में कार्यरत निम्नलिखित संगणक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ–04 में अंकित स्थान पर स्वयं के अनुरोध के आधार पर एतद्द्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है :–

क्र0 सं0	संगणक का नाम/जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण विधेयक की धारा जिसके अनुरूप स्थानान्तरण किया गया है
01	02	03	04	05
(अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण)				
01	श्रीमती साधना/ 29.01.1973	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर।	सिंचाई खण्ड, दुगड्डा।	धारा 17 (ख) (एक)

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगें तथा अनुपालन आख्या तत्तकाल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगें :–

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तद्नुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लघंन मानते हुए उसके विरूद्व "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली–2003 (समय–समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरण हेतु स्थानान्तरण भत्ता देय नही होगा।
10. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्याः 3657/प्र0अ0/सिं0वि0/कार्मिक–2/2025/तदिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर–।/स्तर–।।), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.com में अपलोड हेतु।
6. कट फाईल।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–02)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग 02)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 3659 / प्र0अ0 / सिं0वि / का0–02 / ई–16(स्था0), दिनांकः 10 जून, 2025

–:कार्यालय–ज्ञापः–

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2025 हेतु ड्राइंग सवर्ग में कार्यरत निम्नलिखित प्रारूपकार को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ–04 में अंकित स्थान पर स्वयं के अनुरोध के आधार पर एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :–

क्र0 सं0	प्रारूपकार का नाम / जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण विधेयक की धारा जिसके अनुरूप स्थानान्तरण किया गया है
01	02	03	04	05
(अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण)				
01	श्री सूर्य प्रकाश चन्द / 22.09.92	नलकूप खण्ड, रामनगर	सिंचाई खण्ड, बागेश्वर	धारा 17 (01) (ख) (सातः)

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगें तथा अनुपालन आख्या तत्तकाल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगें :–

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तद्नुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सस्मय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति / पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य / आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लघंन मानते हुए उसके विरूद्व "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली–2003 (समय–समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरण हेतु स्थानान्तरण भत्ता देय नही होगा।
10. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्याः 3659 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / कार्मिक–2 / 2025 / तदिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर– I / स्तर– II), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.com में अपलोड हेतु।
6. कट फाईल।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–02)
कृते प्रमुख अभियन्ता

Karmik2/2025/E-16

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग 02)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 3658 / प्र0अ0 / सिं0वि / का0–02 / ई–16(स्था0), दिनांकः 10 जून, 2025

–:कार्यालय–ज्ञापः–

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2025 हेतु ड्राईंग सवंर्ग में कार्यरत निम्नलिखित प्रारूपकार को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ–04 में अंकित स्थान पर स्वयं के अनुरोध के आधार पर एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :–

क्र0 सं0	प्रारूपकार का नाम / जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण विधेयक की धारा जिसके अनुरूप स्थानान्तरण किया गया है
01	02	03	04	05
(अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण)				
01	श्री अजय कुमार / 11.07.1996	प्रमुख अभियन्ता (बजट अनुभाग), देहरादून।	लघु डाल खण्ड, श्रीनगर (गढ़वाल)।	धारा 17 (01) (ख) (सातः)

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगें तथा अनुपालन आख्या तत्तकाल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगें :–

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तद्नुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सस्मय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति / पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य / आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लघंन मानते हुए उसके विरूद्व "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली–2003 (समय–समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरण हेतु स्थानान्तरण भत्ता देय नही होगा।
10. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्याः 3658 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / कार्मिक–2 / 2025 / तदिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर– । / स्तर– ।।), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.com में अपलोड हेतु।
6. कट फाईल।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–02)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग 02)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 3661 /प्र0अ0/सिं0वि/का0–02/ई–16(स्था0), दिनांकः 10 जून, 2025

–ःकार्यालय–ज्ञापः–

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2025 हेतु ड्राईग सवंर्ग में कार्यरत निम्नलिखित प्रारूपकार को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ–04 में अंकित स्थान पर स्वयं के अनुरोध के आधार पर एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :–

क्र0 सं0	प्रारूपकार का नाम/जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण विधेयक की धारा जिसके अनुरूप स्थानान्तरण किया गया है
01	02	03	04	05
(अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण)				
01	श्री रोहित सिंह/ 05.06.94	सिंचाई खण्ड, पुरोला	पी0एम0जी0एस0वाई0 सि0 ख0, पुरोला	धारा 17 (01) (ख)

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगें तथा अनुपालन आख्या तत्तकाल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगें :–

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तद्नुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लघंन मानते हुए उसके विरूद्व "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली–2003 (समय–समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरण हेतु स्थानान्तरण भत्ता देय नही होगा।
10. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्याः 3661 /प्र0अ0/सिं0वि0/कार्मिक–2/2025/तदिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर–।/स्तर–।।), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.com में अपलोड हेतु।
6. कट फाईल।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–02)
कृते प्रमुख अभियन्ता

Karmik2/2025/E-16

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग 02)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्याः 3662 /प्र0अ0/सिं0वि/का0–02/ई–16(स्था0), दिनांकः 10 जून, 2025

—:कार्यालय–ज्ञापः—

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2025 हेतु ड्राईंग सवंर्ग में कार्यरत निम्नलिखित प्रारूपकार को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ–04 में अंकित स्थान पर स्वयं के अनुरोध के आधार पर एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :—

क्र0 सं0	प्रारूपकार का नाम/जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण विधेयक की धारा जिसके अनुरूप स्थानान्तरण किया गया है
01	02	03	04	05
(अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण)				
01	श्री सूरज सिंह रावत/ 11.06.93	पी0एम0जी0एस0वाई0 सि0 ख0, रूद्रप्रयाग	पी0एम0जी0एस0वाई0 सि0 ख0–2, श्रीनगर	धारा 17 (01) (ख)

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगें तथा अनुपालन आख्या तत्तकाल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगें :—

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तद्नुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लघंन मानते हुए उसके विरूद्व "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली–2003 (समय–समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरण हेतु स्थानान्तरण भत्ता देय नही होगा।
10. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्याः 3662 /प्र0अ0/सिं0वि0/कार्मिक–2/2025/तदिनांकः—

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर–।/स्तर–।।), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.com में अपलोड हेतु।
6. कट फाईल।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–02)
कृते प्रमुख अभियन्ता

Karmik2/2025/E-16

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग 02)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 3660 / प्र0अ0 / सिं0वि / का0–02 / ई–16(स्था0), दिनांकः 10 जून, 2025

—:कार्यालय–ज्ञापः—

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2025 हेतु ड्राइंग सवंर्ग में कार्यरत निम्नलिखित प्रारूपकार को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ–04 में अंकित स्थान पर स्वयं के अनुरोध के आधार पर एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :—

क्र0 सं0	प्रारूपकार का नाम / जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अभियुक्ति
01	02	03	04	05
(अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण)				
01	श्री नितिन कुमार सोनी / 02.04.93	प्रमुख अभियन्ता (बजट अनुभाग), देहरादून	परियोजना मण्डल, देहरादून	—

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगें तथा अनुपालन आख्या तत्तकाल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगें :—

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तद्नुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति / पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य / आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लघंन मानते हुए उसके विरूद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली–2003 (समय–समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरण हेतु स्थानान्तरण भत्ता देय नही होगा।
10. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्याः 3660 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / कार्मिक–2 / 2025 / तदिनांकः—

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर–I / स्तर–II), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.com में अपलोड हेतु।
6. कट फाईल।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–02)
कृते प्रमुख अभियन्ता

Karmik2/2025/E-16